न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एंव जिला कलेक्टर ,टोंक

प्रकरण संख्या

28 / 2024

ओमप्रकाश लोहार पुत्र दुर्गा लाल लौहार निवासी एस.बी.आई बैंक के पास खाती मोहल्ला नासिरदा तहसील देवली जिला टोंक ––अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एंव प्रभारी अधिकारी पंचायत शाखा कलेक्ट्रेट टोंक ––प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय **दिनांक 14.08.2024**

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत अपील पेश की है। अपीलार्थी द्वारा द्वारा राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 कलेक्टर टोंक को आवेदन पत्र दिनांक 06.02.2024 को प्रेषित/प्रस्तुत करने पर राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक ने पत्र कमांक 64 दिनाक 07.02.2024 से लोक सूचना अधिकारी एंव प्रभारी अधिकारी पंचायत शाखा कलेक्ट्रेट टोंक को अन्तरित कर प्रार्थी को सूचना उपलब्ध करवाने हेतु लिखा गया। अपीलाण्ट द्वारा निम्न वर्णित सूचना चाही गईः–

दिनांक 8 जनवरी 2024 को आवेदक ओमप्रकाश लोहार निवासी नासिरदा तहसील देवली जिला टोंक का मोबाइल नंबर 9636919196 ने ग्राम पंचायत नासिरदा तहसील देवली द्वारा जारी किए गए फर्जी पट्टे के संबंध में शिकायत पत्र प्रस्तुत किया था उस शिकायत पत्र के संबंध में कलेक्टर मैडम के निर्देशानुसार करवायी गई जांच व अनुशासनात्मक कार्यवाही का विवरण मय रिकॉर्ड की प्रमाणित प्रतिलिपियां उपलब्ध करावे।

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर कर अपील प्रा0पत्र की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव प्रभारी अधिकारी पंचायत शाखा कलेक्ट्रेट टोंक को पत्र कमांक 857 दिनांक 24.06.2024 को प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई। लोक सूचना अधिकारी एंव प्रभारी अधिकारी पंचायत शाखा कलेक्ट्रेट टोंक ने उनके पत्र कमांक 350 दिनांक 26.06.2024 से अवगत कराया है कि वांछित सूचना उपखण्ड अधिकारी देवली से सबंधित होने के कारण उनको प्रार्थना पत्र अन्तरित किया गया है। लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी देवली को पत्र कमांक 981 दिनांक 10.07.2024 को प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई। लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी देवली टोंक ने उनके पत्र कमांक 124 दिनांक 18.07.2024 से अवगत कराया है कि वांछित सूचना विकास अधिकारी पंचायत समिति देवली से सबंधित होने से प्रार्थना पत्र उनको अन्तरित किया गया है। अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलान्ट उपस्थित नही हुए। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा चाही जा रही सूचना विकास अधिकार पंचायत समिति देवली से सबंधित है। विकास

जिला कलेक्टर
टोंक

अधिकारी पंचायत समिति देवली के प्रथम अपीलेट अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता ना होकर प्रधान पंचायत समिति देवली है। अपीलार्थी प्रधान पंचायत समिति देवली के समक्ष प्रथम अपील करने हेतु स्वंतत्र है।

फलतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव प्रभारी अधिकारी पंचायत शाखा कलेक्ट्रेट टोंक तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

(डॉ. सौम्या झा)
प्रथम अपील अधिकारी
एंव जिला कलेक्टर टोंक

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान)

जिला कलेक्टर टोंक